

No.H-12019/05/2013-Estt.  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY  
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Technology Bhawan,  
New Mehrauli Road,  
New Delhi-110016.

Dated: 13<sup>th</sup> September, 2013

**OFFICE ORDER**

**Subject:** Right to Information Act, 2005 – Nomination for Nodal Officer under RTI Online Scheme.

Shri Vimal Kumar Varun, Scientist 'F', Department of Scientific & Industrial Research (DSIR) has been nominated as the Nodal Officer under RTI Online Scheme vice Dr. K. Jayakumar, Joint Secretary, DSIR, with immediate effect, and until further orders, with the approval of competent authority.

2. Shri Varun will continue to discharge his duties and responsibilities as CPIO, DSIR.



(Kuldip Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India  
Tel. No. 26590682

To

1. Shri Vimal Kumar Varun, Scientist 'F', CPIO & Nodal Officer - RTI, DSIR.
2. US to Secretary, DSIR & DG, CSIR.
3. US to Joint Secretary (Admn.)/PS to Financial Adviser, DSIR/CSIR.
4. All Officers/Sections in DSIR.
5. CMD, CEL/CMD, NRDC/DG, CDC.
6. Hindi Section for Hindi version.

सं.एच-12019/05/2013-स्थापना  
भारत सरकार  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग


टेक्नोलाजी भवन,  
नया मेहरौली मार्ग,  
नई दिल्ली - 110016  
दिनांक: 18 सितम्बर, 2013

कार्यालय आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – आरटीआई आनलाइन योजना के अर्न्तगत नोडल अधिकारी के लिए नामांकन।

श्री विमल कुमार वरुण, वैज्ञानिक 'एफ' वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से डा0 के. जयकुमार, संयुक्त सचिव, डीएसआईआर की ओर से आरटीआई आनलाइन योजना के अर्न्तगत नोडल अधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक के लिए नामित किया गया है।

2. श्री वरुण, सीपीआईओ, डीएसआईआर के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाहन जारी रखेंगे।



(कुलदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष सं. 26590682

प्रति:

1. ✓ श्री विमल कुमार वरुण, वैज्ञानिक 'एफ', सीपीआईओ एवं नोडल अधिकारी – आरटीआई, डीएसआईआर।
2. सचिव, डीएसआईआर तथा महानिदेशक, सीएसआईआर के अवर सचिव।
3. संयुक्त सचिव(प्रशा.) के अवर सचिव/वित्तीय सलाहकार, डीएसआईआर/सीएसआईआर के निजी सचिव।
4. डीएसआईआर के सभी अधिकारी/अनुभाग।
5. सीएमडी,सीईएल/सीएमडी, एनआरडीसी/डीजी, सीडीसी।